भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 321
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नारियल को शामिल करना
***321. श्री श्रेयस एम. पटेलः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नारियल को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है;
(ख) यदि नहीं, तो कर्नाटक सहित कतिपय राज्यों में उक्त योजना के अंतर्गत इसे शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण है;
(ग) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत नारियल को शामिल किए जाने के संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार, जन-प्रतिनिधियों, किसान संगठनों या नारियल उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;
(घ) क्या सरकार का विचार नारियल को इस योजना के अंतर्गत बीमित फसल के रूप में शामिल करने अथवा नारियल उत्पादकों को कीटों, रोगों, प्राकृतिक आपदाओं, सूखे, बाढ़, चक्रवात और प्रतिकूल मौसम की अन्य घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उनके लिए एक विशिष्ट फसल बीमा पैकेज शुरू करने का है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नारियल को शामिल करना" के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (क) से (ङ) तक में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में सभी खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट्स और दलहन), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है, जो फसल कटाई प्रयोगों (CCEs) पर आधारित पिछले उपज आंकड़ों की उपलब्धता और राज्य सरकार के पास आवश्यक संख्या में CCEs करने या दावों की गणना करने के लिए फसल उपज आकलन या यस-टेक (**प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली**) को अपनाने की क्षमता के अधीन है।

उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाली फसलों के लिए, संबंधित राज्य सरकार उन्हें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत कवरेज के लिए अधिसूचित कर सकती है, जिसके अंतर्गत दावों का भुगतान मौसम सूचकांक मापदंडों के आधार पर सरंचित किया जाता है।

इस प्रकार, PMFBY और RWBCIS के तहत किसी विशिष्ट फसल को अधिसूचित करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। किसी भी राज्य सरकार ने PMFBY या RWBCIS के तहत नारियल की फसल को अधिसूचित नहीं किया है।

(घ) एवं (ङ): नारियल विकास बोर्ड (CDB) द्वारा एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) के सहयोग से कोकोनट पाम के बीमा हेतु एक समर्पित स्कीम, नामत: कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम (CPIS) का संचालन किया जा रहा है। यह योजना सभी नारियल उत्पादक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध है, जो संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति के अधीन है।

इस योजना के तहत, **बीमा प्रीमियम को नारियल विकास बोर्ड**, **राज्य सरकार और किसान के बीच** 50:25:25 के **अनुपात में साझा किया जाता है।** इस योजना के अंतर्गत बीमित आपदाओं जैसे कि तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, टोरनेडो, भारी बारिश; बाढ़ और जलभराव; व्यापक प्रकृति के कीट और रोग जो पाम के वृक्षों को अपूरणीय क्षति पहुचांते हैं; आकस्मिक आग, जिसमें जंगल की आग और झाड़ियों की आग शामिल है; बिजली गिरना; भूकंप; भूस्खलन; सुनामी; और गंभीर सूखा तथा परिणामस्वरूप होने वाले पाम के पूर्ण नुकसान या पाम के अनुत्पादक हो जाने पर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
